

अनुमति की शर्तें ।

- (i) सख्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) पिछली भी प्रकार का गिनाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम पिछली सतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवन के विशेष निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

पत्रावली श्री. जे.पी. केवल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 844 दिनांक 06/01/2021

प्राथी श्री. जे.पी. केवल आवासीय प्रोजेक्ट

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2004

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9750/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/8177, 8178

दिनांक 06/01/2021 को जमा करा दी है ।

06/01/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी.पी.
आवासीय

P.No = 20 खण्ड संख्या
210/23/1 ग्राम- डिगाड़ी

Received
Sharma
6/01/2021
7737492242